सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (रा

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 24/2016

बउनवान

श्री हारून खां, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री लक्ष्मीकांत खंडेलवाल पुत्र श्री फूलचन्द गुप्ता उम्र 50 वर्ष (विक्रेता एवं मालिक) निवासी–तेलफेक्ट्री, झालावाड़ रोड़, बारां । मेसर्स फूलचन्द लक्ष्मीकांत, तेलफेक्ट्री एरिया, झालावाड़ रोड़ बारां
2. श्री निरंजनलाल गोयल पुत्र श्री जानकीलाल गोयल, (मालिक एवं निर्माता) निवासी मेलखेड़ी रोड़, बारां मेसर्स जानकीलाल एण्ड कम्पनी, मेलखेड़ी रोड़ बारां ।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. बारां (प्रार्थी की ओर से)
2– श्री घनश्याम अग्रवाल एडवोकेट (अप्रार्थीगण की ओर से)

निर्णय दिनांक 26.03.2018

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र–कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा द्वारा प्रकरण इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.08.2015 को समय 05.00 पी.एम. पर मेसर्स फूलचन्द लक्ष्मीकांत, तेलफेक्ट्री एरिया, झालावाड़ रोड़ बारां पर पहुंचा। वहां पर श्री लक्ष्मीकांत खंडेलवाल पुत्र श्री फूलचन्द गुप्ता उम्र 50 वर्ष (विक्रेता एवं मालिक) निवासी–तेलफेक्ट्री, झालावाड़ रोड़, बारां की हैसियत से उपस्थित थे तथा खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ब्राण्ड)** का विक्रय आम जनता को कर रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त दुकान के अन्दर प्लास्टिक के कट्टे में 1 किलोग्राम वजनी 10 पेकेट **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ब्राण्ड)** आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी, जिनमें मिलावट का शक होने पर उक्त **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ब्राण्ड)** के पेकेट में से 4 पेकेट 1 किलोग्राम वजनी वास्ते नमूना जांच मौके पर उपस्थित गवाहान की उपस्थिति में क्रय किया गया जिसकी सूचना श्री लक्ष्मीकांत खंडेलवाल पुत्र श्री फूलचन्द गुप्ता उम्र 50 वर्ष (विक्रेता एवं मालिक) निवासी–तेलफेक्ट्री, झालावाड़ रोड़, बारां, मेसर्स फूलचन्द लक्ष्मीकांत, तेलफेक्ट्री एरिया, झालावाड़ रोड़ बारां को जरिये फार्म नं. 5 ए को देकर सूचित किया। फार्म नं. 5 ए पर विक्रेता, गवाह एवं स्वंय ने हस्ताक्षर किये। उक्त क्रयशुदा 4 पेकेट **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ब्राण्ड)** की कीमत विक्रेता को 320/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ब्राण्ड)** के **4 पेकेट** के प्रत्येक भाग में डी.ओ. के लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना भागों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर उन्होने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ एवं उपनिदेशक कार्यालय जोन कोटा को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. एवं उप निदेशक, कार्या. संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें परिक्षेत्र कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/46(4)/2015/259 दिनांक 02.12.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./2184/एक्ट/2015/1474 दिनांक 14.10.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ब्राण्ड) सबस्टैण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप)** पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के विरूद्ध जारी नोटिस असत्य एवं मिथ्या है। अप्रार्थी कोई किराना व्यवसाय नहीं करता ना ही कोई माल विक्रय करता है। प्रकरण हाजा में बताया गया सामान अप्रार्थी अपने घर के दैनिक उपयोग हेतु खरीद कर लाया था जो अपने कमरे में रखा हुआ था, प्रार्थी द्वारा कोई माल उत्पाद नहीं किया जाता ना ही विक्रय अथवा मिलावट की जाती है। अप्रार्थी के विरूद्ध सर्वथा मिथ्या कार्यवाही की गई है जो निरस्तनीय है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा कोई मिसब्राण्ड माल उत्पाद नहीं किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 अप्रार्थी क्रम 2 से अपने दैनिक उपयोग के लिये मिर्च पाउडर लेकर गया था वह किसी प्रकार का विक्रय नहीं करता है। अप्रार्थी के विरूद्ध सर्वथा गलत कार्यवाही की गई है जो अस्वीकार है। अतः कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी के प्रतिनिधि एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिर्च पाउडर (अग्रवाल ब्राण्ड)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पृथक पृथक जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 अपने दैनिक उपयोग के लिये मिर्च पाउडर अप्रार्थी क्रम 2 से लेकर गया था अप्रार्थी क्रम 1 किराना व्यवसायी नहीं है। तथा अप्रार्थी क्रम 2 भी माल का उत्पाद नहीं करता बाजार से खड़ी मिर्च खरीद कर उसे पीसता है तथा पेकेट बनाकर विक्रय करता है। अप्रार्थी क्रम 2 कोई मिसब्राण्ड माल उत्पाद नहीं करता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी क्रम 1 के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 2 को कुल 10000/– अक्षरे दस हजार के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)